राजस्व अपील संख्या 12/2024 उनवान हेमन्त कुमार व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपुर
राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 12/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/80

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट्स
1. हेमन्त कुमार पुत्र माधो प्रसाद 2. गोकूलचन्द पुत्र माधो प्रसाद 3. हितेन्द्र कुमार पुत्र माधोप्रसाद जातिगण ब्राह्मण निवासीगण बलवना हाल फालना स्टे. तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.	बनाम	तसीलदार सुमेरपुर जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम बलवना के नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 30.08.1999 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई।

उपस्थिति :– अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित

–:निर्णय:–

दिनांकः 28.08.2024

अपीलांट हेमंत कुमार पुत्र माधवप्रसाद व अन्य ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध नामांतरणकरण संख्या 156 दिनांक 30 अगस्त 1999 मे तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की माता स्वर्गीय भगवती देवी जोजे माधव प्रसाद के विरुद्ध एक सीलिंग का प्रकरण माननीय उपखंड अधिकारी बाली के न्यायालय में चला था जिस सीलिंग प्रकरण संख्या 208/79 सरकार बनाम भगवती देवी का निर्णय दिनांक 19 जुलाई 1999 को हुआ है जिस निर्णय में माननीय उपखंड अधिकारी बाली ने अपने फ़ैसले में यह आदेश तहसीलदार सुमेरपुर को जारी किया कि अधिग्रहण योग्य भूमि 15 बीघा 14 बिस्वा गैर सायला से विकल्प प्राप्त कर अधिग्रहण कर पालना रिपोर्ट पेश करे जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सुमेरपुर ने भगवती देवी से कोई विकल्प नहीं लिया एवं भगवती देवी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण से भी कोई विकल्प नहीं लिया और सीधा ही नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 8 अगस्त 1999 को पटवारी हल्का ने भरा जिस को उसी दिन आर आई ने जॉच किया एवं बिना किसी प्रकार का अवलोकन किए रेस्पोंडेंट तहसीलदार ने उस नामान्तरकरण को 30 अगस्त 99 को स्वीकृत कर दिया जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत है।

अपीलांट स्वर्गीय भगवती देवी के बारीशान है एवं भगवती देवी के विरुद्ध चले सीलिंग प्रकरण में भगवती देवी की 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि अधिग्रहण योग्य मानते हुए गैर सायला से विकल्प लेकर भूमि को अधिग्रहण करने के निर्देश उपखंड अधिकारी जी बाली द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के नाम अपने निर्णय दिनांक 19 जुलाई 1999 द्वारा जारी किए गए थे लेकिन उनकी पालना नहीं करते हुए रेस्पोंडेंट ने अपनी मनमर्ज़ी से मौजा वलवना के खसरा नंबर 641/644 रकबा 2.90 हेक्टेयर में से 2.52 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करते हुए नामांतरकरण जेर अपील भरवाकर स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त नामांतरण करण भरने के पूर्व अपीलांट से अधिग्रहण हेतु विकल्प प्राप्त करते लेकिन ऐसा नहीं कर निर्णय एवं आदेश की पालना नहीं करते हुए नामान्तरकरण जैर अपील भरा गया है जो प्रथम द्रष्टया क़ाबिल खारिज है अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 156 को खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया गया था अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड एवं उपखंड अधिकारी बाली के प्रकरण संख्या 208/79 की मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया है। रेस्पोंडेंट ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपखंड अधिकारी बाली के न्यायालय में सीलिंग प्रकरण में निर्णय दिनांक 19 जुलाई 1999 में गैर सायल भगवती देवी के नाम संवत 2031-2034 की जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 252 रकबा 91 बीघा

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

19 बिस्वा खसरा नंबर 253 रकबा 54 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 9 रकबा 97 बीघा 18 बिस्वा अर्थात कुल रकबा 204 बीघा 14 बिस्वा भूमि थी लेकिन सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 4;डी) के अनुसार गैरसायल कुल 189 बीघा भूमि धारण करने की ही अधिकारी थी जबकि उनके पास 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि अतिरिक्त थी जिससे सीलिंग नियमों के तहत विकल्प लिए जाकर अधिग्रहण किए जाने के आदेश पारित किए गए जिसकी पालना में तत्कालीन तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 156 दिनांक 30 अगस्त 1999 को दायर कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि (2.52 हेक्टेयर) खसरा नंबर 641/644 रकबा 2.52 हेक्टयर भूमि अधिग्रहण कर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय बाली को सूचित किया गया विकल्प लेने के संबंध में श्रीमान से निवेदन है कि सीलिंग पत्रावली का अवलोकन किया गया लेकिन मूल पत्रावली में विकल्प से संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं मिला है।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई जिसमें उन्होंने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय अनुसार विकल्प लिया जाकर भूमि अधिग्रहण करनी थी किंतु तहसीलदार सुमेरपुर दुबारा बिना विकल्प लिए ही भूमि अधिग्रहित कर दी है अतः इस संबंध में दायर किए गए नामान्तरकरण संख्या 156 को निरस्त किया जावे एवं निर्देशित किया जावे की निर्णय की भावना के अनुसार अपीलांट से विकल्प प्राप्त किया जाकर अधिग्रहण की कार्यवाही की जावे।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ अधीनस्थ न्यायालय के नामांतरण करण एवं न्यायालय उपखंड अधिकारी के प्रकरण की मूल पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया एवं प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली के निर्णय के अनुसार ग़ैर सायला से किसी प्रकार का विकल्प प्राप्त नहीं किया जाकर सीधे ही नामांतरण संख्या 156 दायर किया गया है अतः इसे निरस्त किया जाना उचित है।

प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरणकरण संख्या 156 दिनांक 30 अगस्त 1999 ग्राम बलवना तहसील सुमेरपुर को निरस्त किया जाता है एवं रेस्पोंडेंट तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली के निर्णय अनुसार अपीलांट से विकल्प प्राप्त कर न्यायोचित नामांतरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लोटाया जावे। पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनाक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर ए इजलास सुनाया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

28/8/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner